भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3663
दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 के लिए प्रश्न

परंपरागत मत्स्यपालन

3663. डॉ॰ आर॰के॰ रंजनः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा विशेषकर मणिपुर की लोकटक झील में अंतर्देशीय मत्स्यपालन पर परंपरागत रूप से निर्भर मछुआरों की आजीविका के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या अंतर्देशीय मछुआरों के अधिकारों और लोकटक झील के मछुवारों के परंपरागत अधिकारों के कल्याण और संरक्षण हेतु कोई नीति है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) व्यावसायिक मात्स्यिकी कार्य में शामिल निजी, कार्पोरेट, संगठित व्यवसायों की निगरानी हेतु जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर क्या विनियामक तंत्र मौजूद है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन एंव डेयरी राज्यमंत्री

(श्री प्रताप चंद्र सारंगी)

(क) से (घ): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) नीली क्रांतिः मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन को कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत मछुआरों को मत्स्यन हेतु क्राफ्ट और गियर का क्रय, हैचरियों की स्थापना, इनपुट लागत सहित मछली बीज रियरिंग इकाइयों को स्थापित करने, पिंजरा/पेन में मछली पालन, बर्फ संयंत्र, शीतागार, इन्सुलेटिड एवं प्रशीतित ट्रक, मछली विपणन सुविधाएं आदि पोस्ट हार्वेस्ट सुविधाएं, मत्स्यन प्रतिबंध अवधि के दौरान बचत सह राहत, मछुआरों के लिए आवास, मछुआरों के लिए बीमा आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) भी दो वित्तीय वर्षों के दौरान लोकटक झील में मत्स्य अंगुलिकाएं के संचयन हेतु सहयोग प्रदान करता है, जिनमें लोकटक झील में वर्ष 2015-16 के दौरान रु 50 लाख मत्स्य अंगुलिकाएं का संचयन और वर्ष 2018-19 के दौरान रु 12.50 लाख मत्स्य अंगुलिकाएं का संचयन शामिल है।

मणिपुर राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लोकटक विकास प्राधिकरण (एलडीए), मणिपुर समय-समय पर मछुआरा समुदाय के लिए जीविका सुधार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। एलडीए द्वारा मछुआरों को मुर्गीपालन, सूअरपालन और धान एवं मत्स्यपालन गतिविधियों के माध्यम से वैकल्पिक आय सृजन कार्यक्रमों में भी सहायता प्रदान की जाती है। यह भी सूचित किया गया है कि झील के परिधि क्षेत्र में समुदाय आधारित मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर हैचरियां स्थापित की गई हैं और इन अवसंरचनाओं के माध्यम से एलडीए मणिपुर द्वारा समय-समय पर झील में अंगुलिकाएं का संचयन का कार्य किया जाता है। यह भी सूचित किया गया है कि मत्स्यपालन विभाग, मणिपुर सरकार द्वारा एक मत्स्य चारा मिल की भी स्थापना की गई है, जिससे सरकारी दर पर गुणवत्तायुक्त चारे की सतत आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। पुनः यह भी सूचित किया गया है कि वित्तीय साख ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए मत्स्यपालन विभाग, मणिपुर सरकार ने 17 बैंकों के साथ समझौता किया है। इसके आलावा मणिपुर सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है यद्यपि कोई नीति नहीं है, लोकटक झील के आसपास के सभी मछुआरा समुदाय को मछली पकड़ने का अधिकार दिया गया है। मणिपुर सरकार ने यह सूचना दी है कि लोकटक झील में की गई किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों को 'मणिपुर लोकटक झील (सुरक्षा) अधिनियम, 2006' के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है।

*****